

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 1224

दिनांक:- 29.12.17

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- कमान्डेन्ट-157 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा CRPF-157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या - वनभूमि - 35/2016-1481 व०प० राँची दिनांक 04.04.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सादर कहना है कि झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या-वनभूमि-35/2016-1481 व०प० राँची दिनांक 04.04.2017 द्वारा 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु कुल बारह (क से ठ तक) शर्तों के साथ Stage - I की स्वीकृति प्रदान की गई है। Stage - I की स्वीकृति में लगाए गए शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के पत्रांक 3167 दिनांक 30.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर के प्रतिवेदनानुसार शर्तों के अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	शर्त	अनुपालन प्रतिवेदन
(क)	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रखने हेतु वचनबद्धता समर्पित की गयी है। Annexure - I
(ख)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.97 हे० वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०भी० की राशि RTGS के माध्यम से कैम्पा लेखा संख्या-344902010105420 Union Bank of India Sunder Nagar, New Delhi में 31,11,220/- रुपये जमा कर दिया गया है। (रसीद संलग्न) Annexure - II इस पत्र की प्रतिलिपि RCCF, Jamshedpur को देते हुए निदेश दिया जा रहा है कि वे प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त राशि वापस लेकर e-payment Portal के माध्यम से जमा करवाकर अनुपालन सुनिश्चित करें।

(ग)	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बड़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित की गयी है। Annexure - III
(घ)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा RTGS द्वारा कैम्पा लेखा में मॉग की गई राशि सीधे जमा कर दी गयी है। Annexure - IV
(ङ.)	प्रस्तावित वनभूमि में कैम्पा निर्माण के क्रम में कम-से-कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में 36 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित की गयी है। Annexure - V
(च)	कैम्पा निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता पत्र समर्पित की गयी है। Annexure - VI
(छ)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित की गयी है। Annexure - VII
(ज)	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनभूमि में किसी प्रकार का Labour camp नहीं रखने का वचनबद्धता समर्पित की गयी है। Annexure - VIII
(झ)	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन, परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित की गयी है। Annexure - IX
(ञ)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा वनभूमि के आसपास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाने संबंधी वचनबद्धता समर्पित की गयी है। Annexure - X
(ट)	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं करने संबंधी वचनबद्धता पत्र समर्पित की गयी है। Annexure - XI

(ठ)	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका-1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित की गयी है। Annexure - XII
-----	---	--

इस प्रकार विषयगत परियोजना हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगायी गयी शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर दिया गया है अथवा वचनबद्धता दी गयी है। स्टेज-I की अनुपालन भेजने हेतु वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना हेतु कुल 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

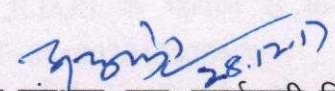
ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 1224

दिनांक 29.12.17

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को कार्यालय अभिलेख हेतु अनुपालन प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर कृपया प्रयोक्ता अभिकरण से शर्त 'क' एवं 'ख' की राशि e-payment Portal के माध्यम से जमा करवाकर अनुपालन सुनिश्चित करें।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय : क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम, जमशेदपुर।
(वन भवन, सी०एच० एरिया, (नॉर्थ-वेस्ट), साई मन्दिर के पास, पो०-सोनारी, जमशेदपुर-831011)
दूरभाष संख्या- 0657-2222995, मेल- rccf.jsr@gmail.com



3167 / जमशेदपुर -11, दिनांक 30-11-17 जहाँ है दृष्टिगोचर !
वहाँ है खुशहाली !!

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
-सह-
कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची ।

विषय :-

कमान्डेन्ट-157 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा CRPF-157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :-

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या - वनभूमि - 35/2016-1481 व०प० राँची दिनांक 04.04.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सादर कहना है कि झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या-वनभूमि-35/2016-1481 व०प० राँची दिनांक 04.04.2017 द्वारा विषयक वनभूमि अपयोजन हेतु 12 (बारह) शर्तों के साथ Stage - I की स्वीकृति प्रदान की गई है। झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा Stage - I की स्वीकृति में लगाए गए शर्तों का अनुपालन संबंधित प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के पत्रांक 1979 दिनांक 27.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर से प्राप्त प्रतिवेदानुसार शर्तों के अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	शर्त	अनुपालन प्रतिवेदन
(क)	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रखने हेतु वचनबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - I
(ख)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.97 हे० वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०भी० की राशि RTGS के माध्यम से कैम्पा लेखा संख्या-344902010105420 पत्रांक Bank of India Sunder Nagar, New Delhi में 31,11,220/- रुपये जमा कर दिया गया है। (रसीद संलग्न) Annexure - II
(ग)	यदि NPV के दर में कोई संशोधित होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - III

(घ)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा RTGS द्वारा कैम्पा लेखा में मॉग की गई राशि सीधे जमा कर दिया गया है। Annexure – IV
(ङ.)	प्रस्तावित वनभूमि में कैम्पा निर्माण के क्रम में कम-से-कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में 36 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - V
(च)	कैम्पा निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। Annexure – VI
(छ)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure – VII
(ज)	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनभूमि में किसी प्रकार का Labour camp नहीं रखने का वचनबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure – VIII
(झ)	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन, परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure – IX
(ञ)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/टेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में कार्यरत मजदूरों/टेकेदारों द्वारा वनभूमि के आसपास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाने संबंधी वचनबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure – X
(ट)	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं करने संबंधी वचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। Annexure – XI

(ठ)	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका-1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता समर्पित किया गया है। Annexure - XII
-----	---	--

वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर के पत्रांक 1979 दिनांक 27.11.2017 के साथ प्राप्त अनुलग्नकों की 6(छः) प्रतियाँ अत्रसह संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में उपरोक्त अनुपालन के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए ।

अनु०:- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम,
जमशेदपुर
30/11/17
30/11/17



झारखण्ड सरकार

कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर ।

दूरभाष संख्या एवं फैक्स - 0657-2223430, ई-मेल- cfjamshedpur@gmail.com

जहाँ है हरियाली
वहाँ है खुराहली

पत्रांक -E- 96/2016- 1979

दिनांक : 27-11-17

सेवा में

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम, जमशेदपुर।

विषय :- कमान्डेन्ट-157 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा CRPF-157 बटालियन के कैम्पिंग साईट हेतु 4.97 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- 1. झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या-वनभूमि-35/2016-1481 व०प० राँची दिनांक 04.04.2017
2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला का पत्रांक 2575 दिनांक 20.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या-वनभूमि-35/2016-1481 व०प० राँची दिनांक 04.04.2017 द्वारा विषयक वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव हेतु दी गई प्रथम स्टेज की स्वीकृति का अनुपाल प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला का पत्रांक 2575 दिनांक 20.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत् है :-

क्र०सं०	शर्त	अनुपालन प्रतिवेदन
(क)	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत् रखने हेतु वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। (अनु०-01)
(ख)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP(C) 202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होने वाली 4.97 हे० वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०भी० की राशि RTGS के माध्यम से कैम्पा लेखा संख्या-344902010105420 पत्रांक Bank of India Sunder Nagar, New Delhi में 31.11.220.00 रुपये जमा कर दिया गया है। (रसीद संलग्न) (अनु०-02)
(ग)	यदि NPV के दर में कोई सशोधित होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। (अनु०-03)
(घ)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा RTGS द्वारा कैम्पा लेखा में माँग की गई राशि सीधे जमा कर दिया गया है। (अनु०-04)
(ङ)	प्रस्तावित वनभूमि में कैम्पा निर्माण के क्रम में कम-से-कम वृक्षों का पातन किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में 36 वृक्षों से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। (अनु०-05)



(च)	कैम्पा निर्माण के उपरांत, जहाँ संभव हो सके, वृक्षारोपण करना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। (अनु0-06)
(छ)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। (अनु0-07)
(ज)	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Camp नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए वनभूमि में किसी प्रकार का Labour camp नहीं रखने का बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। (अनु0-08)
(झ)	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन, परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी ताकि आस-पास के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। (अनु0-09)
(ञ)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा परियोजना स्थल के आस-पास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा वनभूमि के आसपास के वन एवं वन्य प्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाने संबंधी बचनबद्धता प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। (अनु0-10)
(ट)	अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपयोजित होने वाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से अन्य कार्यों के लिए नहीं करने संबंधी बचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। (अनु0-11)
(ठ)	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका-1.9 के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए बचनबद्धता पत्र समर्पित किया गया है। (अनु0-12)

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की सात (07) प्रतियाँ संलग्न भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि इस संबंध में आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0 : यथोक्त।

आपका विश्वासी,

वन संरक्षक,

प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर

2/11/17